मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्वच्छ भारत मिशन की "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति" की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 17.11.2021 का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरणः–

1. डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव, पर्यटन व संस्कृत विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री जी0एस0 प्रियदर्शी, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
6. श्री शमीम ए खान, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
7. श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
8. श्री ऋषिकेश दुबे, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
9. श्री अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रमुख सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
10. श्री नगेन्द्र शर्मा, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रमुख सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
11. श्री ए0के पाण्डेय, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रमुख सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
12. श्री ए0 दिनेश कुमार, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. श्री गौरव वर्मा, विशेष सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रमुख सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
14. श्री भवानी सिंह, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
15. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, विशेष सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
16. श्री जय शंकर राय, संयुक्त सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
17. श्री राजरतन, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन (प्रमुख सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
18. श्री रामप्रताप विमल, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
19. श्री गिरिजेश कुमार, अनु सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन (अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
20. श्री अनूप श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ ।
21. श्री ओ0पी0 सिंह, निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
22. श्री पी0के0 गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
23. श्री कमल सिंह, जनरल मैनेजर, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
24. श्री ए0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
25. श्री मृत्युन्जय कुमार यादव, अपर मिशन निदेशक, एस0बी0एम0–नगरीय, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

26. श्री एस0डी0सिंह, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एक्सपर्ट, नगरीय, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

एजेन्डा बिन्दु–1

10वीं SHPSC में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्याः–

बैठक के आरम्भ में मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा मा0 समिति की विगत बैठक दिनांक 21.10.2021 में लिये गये निर्णय के विषयगत का अनुपालन की प्रगति रखी गयी। यह अवगत कराया गया कि जिन 14 निकायों के प्लांट विगत बैठक में अनुमोदित किये गये थे, उनमें से 03 की पी0एफ0ए0डी0 हो चुकी है और 11 प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही सुनिश्चित करते हुए स्वीकृति निर्गत कर दी जायेगी। उपरोक्त प्लांटों की लागत की भिन्नता के मदों का रिव्यू भी प्रशासकीय विभाग के स्तर पर मा0 समिति के निर्देशों के क्रम में किया गया है। तदनुसार मा0 समिति द्वारा उक्त विषय में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चत किया जा रहा है।

एजेन्डा बिन्दु–2

प्रदेश के 20 नगर पालिका परिषदों तथा 02 नगर निगमों में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत डी0पी0आर0 का अनुमोदनः–

मा0 समिति के समक्ष यह अवगत कराया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (NGT) द्वारा विभिन्न वादों में इस विषय में कठोर निर्देश दिये गये हैं कि लिगेसी वेस्ट का निस्तारण कराया जाये। उक्त के क्रम में निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत पूर्व से डम्प साइट पर विद्यमान लिगेसी वेस्ट का भली–भांति निस्तारण किया जाना अपरिहार्य है। विगत बैठक में उक्त बिन्दु पर परिचर्चा में यह निर्देशित किया गया था कि विस्तृत DPR को वेटिंग (Vetting) करते हुए मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाये। तत्क्रम में प्रदेश के 20 नगर पालिका परिषदों तथा 02 नगर निगमों में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु 22 निकायों में विद्यमान कुल लगभग 22.21 लाख टन लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु लगभग रु0 125.94 करोड़ के लागत की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आर0सी0यू0ई0एस0 की वेटिंग (Vetting) रिपोर्ट संलग्न करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी समिति की संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निम्नवत् मा0 समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गईः–

क्र0	निकाय का नाम	लिगेसी वेस्ट की मात्रा (टन में)	डी.पी.आर. में अनुमानित धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	नगर निगम झांसी	326028	17.15
2	नगर निगम फिरोजाबाद	188518	11.13
3	नगर पालिका परिषद रामपुर	163823	8.86
4	नगर पालिका परिषद बहराइच	30139	2.15
5	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	224655	11.84
6	नगर पालिका परिषद मैनपुरी	173342.8	9.29
7	नगर पालिका परिषद उन्नाव	42532	2.91
8	नगर पालिका परिषद अमरोहा	49061.1	3.60
9	नगर पालिका परिषद हाथरस	77184	5.12
10	नगर पालिका परिषद सम्भल	49061.1	3.12
11	नगर पालिका परिषद बदांयु	46246.8	3.07
12	नगर पालिका परिषद बलिया	337714.5	16.49
13	नगर पालिका परिषद मिर्जापुर	8803.6	0.96

14	नगर पालिका परिषद ललितपुर	51738.8	3.25
15	नगर पालिका परिषद इटावा	81314	4.43
16	नगर पालिका परिषद हापुड़	85171	4.75
17	नगर पालिका परिषद रायबरेली	62770	3.75
18	नगर पालिका परिषद एटा	88725.7	4.61
19	नगर पालिका परिषद कन्नौज	33384.5	2.42
20	नगर पालिका परिषद फतेहपुर	41205	2.78
21	नगर पालिका परिषद सीतापुर	20882	1.63
22	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	38645	2.63
योग		**2220944.9**	**125.94**

उपरोक्त के विषयगत मा0 समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त DPR (Detailed Project Report) का गठन भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय के अधीन संस्थान आरसीयूईएस द्वारा तैयार/वेटिंग (Vetting) की गयी है और इस हेतु वेस्ट की मात्रा का आंकलन साइट का स्थलीय भ्रमण करने के साथ–साथ, कन्टुर सर्वे (Volumetric analysis) एवं अन्य तकनीकी विधि के माध्यम से भली–भांति किया गया है। उपरोक्त समस्त DPR की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति में परीक्षण की गयी और उपरोक्त की संस्तुति के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त के अनुमोदन हेतु मा0 समिति में उक्त को संस्तुत किया गया है।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा यह पृच्छा की गयी कि अन्य 15 नगर निगमों में लिगेसी वेस्ट के कार्य की क्या स्थिति है? पृच्छा के क्रम में यह अवगत कराया गया कि अन्य 15 नगर निगमों में यथा 1. कानपुर 2. आगरा 3. मथुरा–वृंदावन 4. प्रयागराज 5. शाहजहॉपुर 6. लखनऊ (6 लाख MT) 7. अयोध्या 8. अलीगढ 9.बरेली 10. गाजियाबाद 11. मेरठ 12. मुरादाबाद में लिगेसी वेस्ट रेमिडिएशन का कार्य या तो आरम्भ हो चुका है या निकायों के स्तर पर निविदा प्रक्रियाधीन हैं। वाराणसी में आरम्भिक रूप से कैपिंग कर ली गयी है और रेमिडिएशन हेतु DPR वेटिंग प्रक्रियाधीन हैं, गोरखपुर तथा सहारनपुर में डम्प साइट पर लिगेसी वेस्ट होने की सूचना मिशन निदेशालय में नहीं है।

यह मत स्थिर किया गया कि जहां कहीं भी लिगेसी वेस्ट से संबंधित बड़ी साइट निगमों में है, वहां कार्य अवश्य सुनिश्चित हो एवं निगमों/निकायों में उक्त कार्य हेतु उनकी वित्तीय स्थिति का आंकलन मिशन स्तर पर कर लिया जाये और आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य हेतु वित्त पोषण विषयक DPR बनाते हुए परियोजना स्वीकृत कराना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही भविष्य में योजनाओं की DPR प्रस्तुत किये जाते समय उपरोक्त विषयगत राज्य की स्थिति और प्रगति तथा पूर्व में उक्त के विषय में किये गये कार्यों का भी विवरण मा0 समिति के समक्ष रखा जाये। उक्त निर्देश के साथ वर्णित 22 परियोजनाओं के विषयगत विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 समिति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु–3

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 08 नगर निगमों में नवीन प्रोसेसिंग प्लांटों की स्थापना हेतु तैयार की गयी DPR का अनुमोदनः–

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 08 नगर निगमों में C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हेतु 520 टन सी0एण्डडी0 वेस्ट के निस्तारण हेतु रु0 28.52 करोड़ के लागत की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आर0सी0यू0ई0एस0 की वेटिंग (vetting) रिपोर्ट संलग्न करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी समिति की संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निम्नवत् प्रस्तुत की गई :–

क्र0	निकाय का नाम	सी0एण्डडी0 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता (टन में)	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	नगर निगम अलीगढ	100	5.51
2	नगर निगम मेरठ	100	5.51
3	नगर निगम मुरादाबाद	100	5.51
4	नगर निगम गोरखपुर	50	2.65
5	नगर निगम मथुरा	50	2.65
6	नगर निगम फिरोजाबाद	50	2.39
7	नगर निगम झांसी	50	2.39
8	नगर निगम अयोध्या	20	1.91
योग		**520**	**28.52**

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य नगर निगमों के विषयगत पृच्छा किये जाने पर अवगत कराया गया कि गाजियाबाद व प्रयागराज में पूर्व से प्लांट स्थापित हैं। वाराणसी तथा आगरा में भी कार्य प्रक्रियाधीन है। यह सुझाव दिया गया कि लखनऊ तथा कानपुर महानगर के रूप में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यहां पर C&D की गतिविधियां हो रही हैं, अतः इन नगरों में भी प्राथमिकता पर C&D प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होना चाहिये।

बताया गया कि लखनऊ में पूर्व से 100 MT क्षमता का प्लांट स्थापित हो चुका है तथा एक अन्य प्लांट 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत कर निविदा आमंत्रित कर ली गयी है, अतः उक्त के दृष्टिगत लखनऊ को अभी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। तदनुसार 08 नगर निगमों के साथ कानपुर नगर निगम की C&D वेस्ट प्रोसेसिंग वेस्ट परियोजना (200 MT, 7.95 Cr) हेतु तैयार की गयी DPR को भी मा0 समिति से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सम्मिलित कर प्रस्तुत किया गया।

उक्तानुसार मा0 समिति द्वारा कानपुर नगर निगम की परियोजना (DPR) को सम्मिलित करते हुए कुल 09 C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के विषयगत प्रस्तुत विभागीय प्रस्ताव तद्नुसार स्वीकृत किया गया।

एजेन्डा बिन्दु–4

नगर निगम वाराणसी में 01 मैट्रिक टन की क्षमता के प्लास्टिक से फ्यूल प्लांट की स्थापना हेतु तैयार की गयी DPR का अनुमोदनः–

उपरोक्त कार्य के पायलेट आधार पर नगर निगम वाराणसी में 01 मिट्रिक टन की क्षमता के प्लास्टिक से फ्यूल प्लांट की स्थापना हेतु रु0 1.43 करोड़ के लागत की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर0सी0यू0ई0एस0 की वेटिंग (vetting) रिपोर्ट संलग्न करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के

अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी समिति की संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।

उक्त के संबंध में मा0 समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि वर्तमान में नगर निगम प्रयागराज में 02 टन प्रतिदिन की क्षमता का प्लास्टिक वेस्ट टू फ्यूल प्लांट क्रियाशील है, जिसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में भी 06 टन प्रतिदिन की क्षमता का प्लास्टिक वेस्ट–टू–फ्यूल प्लांट स्थापित है। दोनों ही निकायों में स्थापित प्लांट पॉयरोलिसिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नगर निगम, वाराणसी में स्थापित किये जाने वाले प्लास्टिक वेस्ट–टू–फ्यूल प्लांट की स्थापना हेतु तैयार की गई DPR भी पॉयरोलिसिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है तथा अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा इस टेक्नोलॉजी को सर्वथा उपर्युक्त बताया गया है।

निर्णय– मा0 समिति द्वारा प्रस्ताव पर इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया कि नगर निगम वाराणसी में प्रस्तावित प्लांट की टेक्नोलॉजी के संबंध में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र से उक्त के म्युनिसिपिल वेस्ट प्लास्टिक के लिये बेहतर टेक्नोलॉजी आधारित होने के विषयगत लिखित संस्तुति ले ली जाये।

एजेन्डा बिन्दु–5

08 नगर निगमों में मोबाईल FSSM ऑन साईट डि–वॉटरिंग वाहनों की आपूर्ति एवं दो वर्ष के रख–रखाव के साथ प्रस्ताव का अनुमोदनः–

08 नगर निगमों यथा नगर निगम लखनऊ, नगर निगम गाजियाबाद, नगर निगम आगरा, नगर निगम वाराणसी, नगर निगम प्रयागराज, नगर निगम गोरखपुर, नगर निगम झांसी, नगर निगम अयोध्या में मोबाइल एफ0एस0एस0एम0 ऑनसाइट डि–वॉटरिंग वाहनों की आपूर्ति एवं 02 वर्ष के रख–रखाव (प्रत्येक नगर निगम हेतु 01 वाहन) हेतु रु0 51.20 करोड़ के लागत की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर0सी0यू0ई0एस0 की वेटिंग (vetting) रिपोर्ट संलग्न करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी समिति की संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।

मा0 समिति को अवगत कराया गया कि निकायों में सीवर व्यवस्था शत्–प्रतिशत न होने तथा भवनों में सैप्टिक टैंकों से निकलने वाले सेप्टेज के समुचित निस्तारण न होने के कारण प्रायः निकायों में स्टार्म वॉटर ड्रेन में सीवेज मिश्रित किया जाता है अथवा इनफार्मल एजेन्सियों द्वारा घरों के सैप्टिक टैकों से सीवेज कलेक्ट करते हुए किसी खाली स्थान पर डाल दिया जाता है। अतः पॉयलेट के आधार पर प्रत्येक नगर निगम में एक वाहन की आपूर्ति की जानी है, जिसका उपयोग मुख्यतः नगर निगमों के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत सेवा प्रदान किये जाने तथा नगर निगम सीमा में अन्यत्र आवश्यक स्थानों पर किया जाना है। इससे मा0 न्यायालयों तथा एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगी।

निर्णय– मा0 समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्देशित किया गया कि उक्त वाहनों की आपूर्ति हेतु चयनित 8 नगर निगमों के साथ–साथ नगर निगम, कानपुर के विशाल क्षेत्र को देखते हुए उक्त परियोजना लागू कर स्वीकृत की जाये। उपरोक्त मशीनरी/वाहन के तकनीकी कार्य की प्रकृति को देखते हुए उक्त परियोजना को लागू करने में कैपिटल इनवेस्टमेन्ट के साथ–साथ O&M की भी समुचित व्यवस्था की जायेगी, जिससे कि निकायों की सीमित तकनीकी क्षमता के कारण परियोजना का सफल क्रियान्वयन प्रभावित न हो।

एजेन्डा बिन्दु–6

नगर निगम झांसी में प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हेतु तैयार DPR का अनुमोदनः–

नगर निगम झांसी में 320 टन प्रतिदिन क्षमता के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट के सिविल निर्माण कार्य हेतु रु0 23.97 करोड़ के लागत की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर0सी0यू0ई0एस0 की वेटिंग (vetting) रिपोर्ट संलग्न करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी समिति की संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।

मा0 समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि वेस्ट–टू–कम्पोस्ट आधारित प्लांट में कम्पोस्ट की बेहतर गुणवत्ता तथा मार्केटिंग/उपयोगिता सुनिश्चित किये जाने हेतु भी कार्यवाही भली–भांति किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व से स्थापित प्लांटों की क्रियाशीलता का तकनीकी परीक्षण कराकर तथा समस्या का समाधान करने के बाद ही लगाया जाए। उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तावित DPR पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा बिन्दु–7

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की प्रगति आख्या व SBM – 2.0 का संक्षिप्त विवरणः–

मा0 समिति द्वारा प्रगति आख्या के विषयगत प्रस्तुत विवरण के क्रम में यह निर्देशित किया गया कि प्रगति विवरण के संदर्भ में माहवार भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण करते हुए उक्त मासिक लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का विवरण मा0 समिति के समक्ष रखा जाना चाहिये। इस विषय में प्रशासनिक विभाग द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि उपरोक्तानुसार सूचना तैयार कराकर विभाग द्वारा प्रस्तुत कर दी जायेगी। साथ ही की गयी प्रगति के क्रम में यह अवगत कराया गया कि 83 नवसृजित नगरीय निकायों को विभिन्न घटकों यथा 24505 सीट घरेलू शौचालय के लिये धनराशि रू0 9.80 करोड, 664 सीट सार्वजनिक शौचालय के लिये धनराशि रू0 5.20 करोड़, 166 सीट मूत्रालय के लिये 0.35 करोड़, एम0आर0एफ0 (सिविल कन्सट्रक्शन) निर्माण के लिये धनराशि रू0 27.94 करोड़, कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन हेतु धनराशि रू0 38.17 करोड़ ट्विन बिन के लिये धनराशि रू0 5.81 करोड तथा जन–जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन (प्रचार–प्रसार गतिविधि) के लिये धनराशि रू0 2.20 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू0 89.47 करोड़ का वित्त–पोषण किया गया है।

एजेन्डा बिन्दु–8 (अतिरिक्त एजेन्डा)

एसबीएम–2.0 की गाइडलाइन के अनुक्रम में मिशन मुख्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था के स्वरूप में संशोधन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत मा0 समिति के समक्ष निम्नवत् प्रस्ताव विचारार्थ रखते हुये अवगत कराया गया कि :–

एस0बी0एम0 2.0 की गाइडलाइन्स में जो व्यवस्था की गयी है, उसके अनुसार परियोजना के विषयगत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किये जाने विषयक प्रस्तर 3.2.2 में एस0एल0टी0सी0 के संबंध में निम्नवत् वर्णित हैः–

State Level Technical Committee (SLTC): For review and sanctioning of projects, there will be a State Level Technical Committee (SLTC), under the Chairpersonship of Principal Secretary – Urban Development, and State Mission Director- SBM as Convenor. An indicative composition of SLTC is given below:

*Additional Chief Secretary / Principal Secretary: **Chairman;**

*State Mission Director: **Convenor;**
Members:- Pr. Secretary in charge of SBM Grameen, Pr. Secretary (PHE), Pr. Secretary (Finance), Pr. Secretary (Environment & Forest), Representative, SPCB Member, Representative of MoHUA, Representative of relevant parastatal entities.
The SLTC may co-opt/ induct any other members based on requirement.

इस प्रकार का प्राविधान एस0बी0एम0–1.0 की गाईड लाइन में नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के राज्य मिशन निदेशक के रूप में कार्यभार विषयक आदेश नियुक्ति विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास हेतु किये जाने के क्रम में वर्तमान में राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) का पदभार अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के पास है।

निर्णय– समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि चूंकि एस0बी0एम0–1.0 एवं 2.0 को अब इन्टीग्रेटेड रूप से मिशन निदेशालय से लागू किया जाना होगा। अतः कार्यहित में एस0बी0एम0–1.0 के लिए राज्य स्तरीय एस0एल0टी0सी0 का गठन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में किया जाए एवं राज्य मिशन निदेशक की पृथक से सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर तैनाती की जाए।

एजेन्डा बिन्दु–2 से 5 के संबंध में कियान्वयन प्रकिया के विकेन्द्रीकरण के संबंध में यह विनिश्चय हुआ कि इस संबंध में विभाग स्तर पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

भवदीय

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–11851/नौ–5–2021–355सा/2014
लखनऊः दिनांक 24 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपिः–समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उत्तर प्रदेश।
3–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
4–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5–बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
6–कम्प्यूटर सेल–नगर विकास अनुभाग–5 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव